संख्या– 2176/अड़तीस–7–2013–10नरेगा/2005टीसी–1

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 01 जुलाई, 2013

विषयः–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत राज्य रोजगार गारण्टी निधि से धनराशि का हस्तान्तरण करने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–3789/38–7–2009–10नरेगा/05टीसी–1, दिनांक 13 नवम्बर, 2009 द्वारा ग्राम पंचायतो के अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार धनराशि सीधे राज्य निधि से ग्राम पंचायतो के खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए राज्य रोजगार गारण्टी निधि से जनपदो को एवं जिला स्तर से ग्राम पंचायतो, क्षेत्र पंचायत एवं कार्यदायी संस्थाओ को धनराशि हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

1. जिला रोजगार गारन्टी निधि खाते में मनरेगा योजनान्तर्गत राज्य रोजगार गारण्टी निधि/भारत सरकार/अन्य स्तर से जारी की गयी धनराशि जमा की जायेगी।
2. जिला रोजगार निधि खाते से ग्राम पंचायत/अन्य कार्यदायी संस्थाओं को उनकी स्वीकृत कार्य योजना एवं माँग के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।
3. क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित कार्यों के सापेक्ष धनराशि कार्यक्रम अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित खाते में कार्यक्रम अधिकारी की माँग के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।
4. विकास खण्ड रोजगार गारन्टी निधि खाते से क्षेत्र पंचायत की स्वीकृत कार्य योजना (ग्राम पंचायत व अन्य कार्यदायी संस्थाओं को छोड़कर) के सापेक्ष ही धनराशि निर्गत की जायेगी।

2– निधि की माँग व अवमुक्ति की प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

प्रथम किश्त

(अ) राज्य निधि से जनपदों को निधि का अन्तरणः–

1. राज्य–निधि में केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त होने के उपरान्त राज्य–निधि से धनराशि जनपदों को उनकी माँग व निधि की उपलब्धता के आधार पर अन्तरित की जायेगी।
2. जनपद के लिए पहली किस्त का निर्धारण वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के लिए अपेक्षित निधियों या जनपद के श्रम बजट के 50 प्रतिशत एवं राज्य निधि में निधि की उपलब्धता के अनुपात में जो भी कम हों, के आधार पर किया जायेगा तथा इसमें से एम0आई0एस0 के अनुसार प्रारंभिक अवशेष को घटा दिया जायेगा।
3. परफार्मेन्स आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जनपदों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं जिन जनपदों द्वारा धनराशि तीव्रता से व्यय की जायेगी उनको धनराशि की उपलब्धता तद्नुसार सुनिश्चित करायी जायेगी।
4. धनराशि अन्तरण में अनिवार्य मानक यह है कि भारत सरकार द्वारा जिस अनुपात में धनराशि राज्य निधि को उपलब्ध करायी जायेगी उसी अनुपात में राज्य निधि से जनपदों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा। यथा – भारत सरकार द्वारा यदि अनुमोदित श्रम बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तो जनपदों को भी उसी अनुपात में धनराशि का अन्तरण किया जायेगा, अर्थात जनपद के अनुमोदित श्रम बजट के सापेक्ष अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि जनपद को राज्य निधि से प्राप्त होगी।

5. धनराशि अन्तरण का यह मानक जनपद स्तर से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि दिये जाते समय अनिवार्य रूप से अपनाया जायेगा। किसी भी दशा में निर्धारित अनुपात से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
6. चूंकि एम0आई0एस0 की रिपोर्टें निधियों की रिलीज का आधार होती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी व्यय को नरेगा सॉफ्ट में दर्ज किया जाए। विगत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध निधि के कम से कम 80 प्रतिशत व्यय होने व उक्त व्यय का कम से कम 90 प्रतिशत एम0आई0एस0 पर प्रदर्शित होने पर ही वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त की पात्रता होगी।
7. जनपद को पहली किश्त अवमुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक (**Annexure-24**) को प्रस्तुत करने पर पहली किश्त राज्य निधि से जनपदों को जारी की जायेगी।
8. राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को ऐसे जनपदों से जहाँ अनावश्यक अप्रयुक्त निधि पड़ी है एवं जनपदों को भी ऐसी कार्यदायी संस्थाओं से, जिनके द्वारा इन निधियों का उपयोग करने की संभावना न हो, से निधियां वापस लेकर उन्हें फिर से बांटा जायेगा तथा इन निधियों को उन जनपदों/कार्यदायी संस्थाओं को दिया जायेगा, जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी।

(ब) जनपद स्तर से ग्राम पंचायतों/अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निधि का अंतरण –

1. जनपद स्तर से निधि ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को उनकी माँग, निधि की उपलब्धता के आधार पर अन्तरित की जायेगी। निधि अन्तरित किये जाते समय वे सभी मानक (**Annexure-24**) पूर्ण करने पर अवमुक्त किया जायेगा,जो राज्य निधि से जनपदों को निधि अन्तरित किये जाते समय संज्ञान में लिये जा रहें है। इसके अतिरिक्त निम्न मानकों को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगाः–

   I. गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 02 सोशल ऑडिट कराया जाना, सोशल ऑडिट के परिणाम एवं उस पर की गयी कार्यवाही को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। चूंकि सोशल आडिट अभी सभी जनपदों में आरम्भ नहीं हुआ है, अतः इस कारण वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस प्राविधान से छूट रहेगी।
   II. नेशनल/स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों पर समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकरण पर कार्यवाही एक माह से अधिक लम्बित नहीं रहेगी।
   III. जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत उपलब्ध कुल धनराशि में से कम से कम 50 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय किया जायेगा ।
   IV. वी0आई0पी0 एवं सामान्य शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जायेगा। कोई भी शिकायत 1 माह से अधिक लम्बित नहीं रहेगी।
   V. उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कम से कम 80 प्रतिशत व्यय एवं उक्त व्यय का कम से कम 90 प्रतिशत एम0आई0एस0 पर अंकन अवश्य हो।
2. सभी कार्यदायी संस्थाओं को निधि अवमुक्त किये जाने के पूर्व उपरोक्त मानकों को पूरा करना होगा। यदि किसी कार्यदायी संस्था द्वारा विशेष परिस्थितियों में इस नियम में किसी प्रकार की छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाता है, तो जनपद द्वारा ऐसे प्रकरण राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को कारण सहित सन्दर्भित किये जायेंगे। राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निधि अवमुक्त किये जाने का निर्धारण होगा।

द्वितीय किश्त

(अ) राज्य निधि से जनपदों को निधि का अन्तरणः—

1. जनपद स्तर पर वित्तीय भौतिक प्रगति एवं कार्यों में प्रगति के आधार पर एवं द्वितीय किश्त के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने पर जनपद को द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।
2. द्वितीय किश्त की पात्रता के लिए प्रत्येक जनपद को कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कम से कम 80 प्रतिशत व्यय (एम0आई0एस0 के अनुसार) सुनिश्चित करना एवं 90 प्रतिशत एम0आई0एस0 फीडिंग किया जाना आवश्यक होगा।
3. द्वितीय किश्त की अवमुक्ति एवं भारत सरकार के मानक (**Annexure-28**) के पूर्ण होने के स्थिति में द्वितीय किश्त अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(ब) जनपद स्तर से ग्राम पंचायतों/अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निधि का अंतरणः—

1. जनपद स्तर से ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निधि अंतरित किये जाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रत्येक स्तर पर पूर्व से उपलब्ध धनराशि का कम से कम 80 प्रतिशत व्यय कर लिया गया हो एवं व्यय का कम से कम 90 प्रतिशत एम0आई0एस0 अंकन किया गया हो।
2. नेशनल/स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों पर समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकरण पर कार्यवाही एक माह से अधिक लम्बित नहीं रहेगी।
3. वी0आई0पी0 एवं सामान्य शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जायेगा। कोई भी शिकायत एक माह से अधिक लम्बित नहीं रहेगी।
4. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट की रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के आधार पर की गयी कार्यवाही को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। यह शर्त 30 सितम्बर के पश्चात अवमुक्त होने वाली किस्त पर प्रभावी रहेगी चूंकि सोशल आडिट अभी सभी जनपदों में आरम्भ नहीं हुआ है, इस कारण वित्तीय वर्ष 2013—14 में इस प्राविधान से छूट रहेगी।
5. भारत सरकार की वेबसाइट पर कार्यपूर्णता तथा फोटो अपलोड की संतोषजनक स्थिति, पूर्ण कार्यों की शतप्रतिशत फोटो अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

3— जनपद स्तर पर निधि की माँग एवं निधि की अवमुक्ति की प्रक्रिया —

1. ग्राम पंचायतों द्वारा निधि की माँग जनपद व मुख्यालय(राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ) की वेबसाइट पर दर्ज करायी जायेगी। इसके लिए विकास खण्ड मुख्यालय द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के सोशल आडिट की स्थिति व फोटो अपलोड किये जायेंगे। कार्यक्रम समन्वयक द्वारा माँग के औचित्यपूर्ण पाये जाने की दशा में उक्त माँग को संस्तुति सहित जनपद मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विकास खण्ड में प्राप्त माँगों को संकलित कर प्रत्येक सप्ताह में एक बार जनपद स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।
2. क्षेत्र पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा धनराशि की माँग आवश्यकतानुरूप जनपद स्तर पर की जायेगी। क्षेत्र पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा एवं उससे सम्बन्धित सोशल आडिट व फोटो अपलोड सुनिश्चित किये जायेंगे।
3. चूंकि सोशल आडिट अभी सभी जनपदों में आरम्भ नहीं हुआ है, इस कारण वित्तीय वर्ष 2013—14 में इस प्राविधान से छूट रहेगी।

उपरोक्त माँगों की स्कैन प्रति राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को ई–मेल– upregs@yahoo.co.in एवं upregs@gmail.com के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

4. किसी भी कार्यदायी संस्था को चेक/ड्राफ्ट इत्यादि के माध्यम से धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि बैंक खाते से सीधे कार्यदायी संस्था के खाते में अन्तरित की जायेगी।
5. ग्राम पंचायत द्वारा विकास खण्ड में मांग दर्ज करने के 10 दिनों के अन्दर धनराशि का ग्राम पंचायत के खाते में अन्तरण सुनिश्चित किया जायेगा। यदि जनपद स्तर व विकास खण्ड स्तर पर पर इस कार्य में कोई शिथिलता की जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक, दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध समुचित दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
6. राज्य रोजगार गारण्टी आयुक्त प्रत्येक सप्ताह जनपदों में हो रही प्रक्रियाओं पर निगाह रखेंगे एव यथा आवश्यकता हस्तक्षेप कर समय–समय पर उत्पन्न समस्याओं का निदान करायेंगे एवं आवश्यकतानुसार योजना के हित में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति भेजेंगे।
7. जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह धनराशि रिलीज एवं कार्यदायी संस्थाओं के कार्य की समीक्षा करेंगे तथा अनिवार्य रूप से अद्यतन स्थिति वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।
8. जनपद में किसी कार्यदायी संस्था के स्तर पर यदि कोई धनराशि 15 दिवस से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त धनराशि का या तो तत्काल नियमानुसार उपभोग कर लिया जाये अन्यथा उसे ऐसी कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जाये, जहाँ कार्य की माँग उपलब्ध हो।
9. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जनपद द्वारा पूरे वर्ष में प्राप्त की गयी निधियों के उपभोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र, ऑडिट रिपोर्ट एवं समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में वांछित अभिलेख आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रेषित करेंगे।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/7/13

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव,

संख्याः– 2176 (1)/अड़तीस–7–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर आयुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परियोजना निदेशक/ संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव